बाल विवाह मुक्त भारत
CHILD MARRIAGE FREE INDIA

JUST RIGHTS FOR CHILDREN



बाल विवाह के खिलाफ शपथ

बाल विवाह एक सामाजिक बुराई और गैर कानूनी है, जो बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास में बाधा है, तथा उनके सपनों को साकार होने से रोकती है। इसलिए मैं शपथ लेता/लेती हूँ कि...

- मैं बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूंगा/करूंगी
- सुनिश्चित करूंगा/करूंगी कि मेरे परिवार, पड़ोस और समुदाय में किसी बालिका का बाल विवाह न होने पाए
- मैं ऐसे किसी भी बाल विवाह के प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगा/दूंगी।
- मैं बच्चों की शिक्षा एवं सुरक्षा के लिए भी अपनी आवाज बुलंद करूंगा/ करूंगी और बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करूंगा/करूंगी।

बाल विवाह मुक्त भारत
CHILD MARRIAGE FREE INDIA

JUST RIGHTS FOR CHILDREN



खबरदार

बाल विवाह एक कानूनन अपराध है।



- 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का बाल विवाह कानूनन अपराध है।
- बाल विवाह करवाने वाले दोषी माता-पिता तथा अन्य रिश्तेदारों को 2 साल तक की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
- बाल विवाह करवाने वाले पंडित, मौलवी वे पादरी को भी सज़ा हो सकती है।
- बाल विवाह के लिए अपनी सेवा देने वाला नई, हलवाई, बैंड एवं टेंट वाले अथवा जो भी यहाँ शामिल होंगे उन्हें 2 साल तक की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- बाल विवाह में शामिल होने वाले व्यक्ति को भी 2 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

बाल विवाह एक कानूनन अपराध है।
आइये हम सब मिलकर इसे जड़ से मिटाये, सब बच्चों को उनके अधिकार दिलाये...

पुलिस	चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर	जे.आर.सी. हेल्पलाइन नंबर
112	1098	18001027222

Just Rights for Children

बाल विवाह मुक्त भारत
CHILD MARRIAGE FREE INDIA

JUST RIGHTS FOR CHILDREN

Pledge Against Child Marriage

Child marriage is a social evil and is an illegal act that hampers girls' education, protection, health and development, and prevents them from realizing their dreams.

Therefore, I pledge to...

Make every possible effort to stand against child marriage.

Ensure that no child marriage takes place in my/our family, neighborhood, or community.

Report any attempt of child marriage to the Panchayat and the government authorities.

Raise my voice for the education and safety of children and I support the creation of a Child Marriage Free India.

#Child MarriageFreeIndia

बाल विवाह मुक्त भारत
CHILD MARRIAGE FREE INDIA

JUST RIGHTS FOR CHILDREN

CAUTION!

CHILD MARRIAGE IS A PUNISHABLE OFFENCE

Those who performs, conducts, or promote child marriages can be punished with imprisonment upto 2 years' or fine up to ₹1 lakh.

The marriage of a girl below 18 years of age or a boy below 21 years of age is illegal and punishable by law. Any person who performs, facilitates, or participates in such a marriage is a punishable offense.

Let us all work together to build a child marriage-free India.

Police	Child Helpline Number	JRC Helpline Number	
112	1098	1800 102 7222	JUST RIGHTS FOR CHILDREN

बाल विवाह मुक्त भारत
CHILD MARRIAGE FREE INDIA

JUST RIGHTS FOR CHILDREN

सावधान!

बाल विवाह एक अपराध है

बाल विवाह कराने और करवाने वाले को 2 साल तक की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

आम जनता को सूचित किया जाता है कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह है। ऐसे विवाह को संपन्न कराना, करवाना या उसमें भाग लेना दंडनीय अपराध है।

आइए हम सब मिलकर बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करें।

Police	Child Helpline Number	JRC Helpline Number	
112	1098	1800 102 7222	JUST RIGHTS FOR CHILDREN

बाल विवाह मुक्त भारत
CHILD MARRIAGE FREE INDIA

JUST RIGHTS FOR CHILDREN

आवश्यक सूचना

सर्वसामान्य को सूचित किया जाता है इस मस्ज़िद में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी नहीं होगी।

बच्चों का निकाह करवाना या उसमे शामिल होना दण्डनीय अपराध है। ऐसा करने वाले जेल जा सकते हैं

बच्चों का निकाह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस को 112 नंबर पर या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना दे सकते है

आइये हम सब मिलकर बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करें

बाल विवाह मुक्त भारत
CHILD MARRIAGE FREE INDIA

JUST RIGHTS FOR CHILDREN

आवश्यक सूचना

सर्वसामान्य को सूचित किया जाता है इस मंदिर में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी नहीं होगी।

बाल विवाह करवाना या उसमे शामिल होना दण्डनीय अपराध है। ऐसा करने वाले जेल जा सकते हैं

बाल विवाह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस को 112 नंबर पर या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना दे सकते है

आइये हम सब मिलकर बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करें

बाल विवाह मुक्त भारत
CHILD MARRIAGE FREE INDIA

JUST RIGHTS FOR CHILDREN

आवश्यक सूचना

सर्वसामान्य को सूचित किया जाता है इस गुरुद्वारा में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी नहीं होगी।

बच्चों का व्याह करवाना या उसमे शामिल होना दण्डनीय अपराध है। ऐसा करने वाले जेल जा सकते हैं

बच्चों का व्याह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस को 112 नंबर पर या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना दे सकते है

आइये हम सब मिलकर बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करें